REGD. NO. D. L.-33004/99



The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1084] नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938 No. 1084] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/VAISAKHA 14, 1938

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का. आ. 1643(अ).—दिनांक 21 अप्रैल, 2016 के का.आ. 1468(अ) के तहत भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने के दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए, उसके साथ संलग्न अनुबंध नीचे दिए गए अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है :-

अनुबंध

राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण के सडक परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

	सत्यापन	के	बाद,	यह	प्रमाणित	किया	जाता	है	कि	श्री/श्रीमती/सुश्र	त्री					
			पुत्र	त्र/पुत्री	/पत्नी	श्री						आयु			निवासी	
									1	कार (मॉडल	का नाम)			·	चलाने मं	नें समर्थ
, जिसमें	ऑटो ट्रां	समिः	रान है	या जि	जसे रिट्रो	फेट क	र दिया	गय	ा है	अथवा उनको	विकलांगत	ा का कृत्रिम	उपायों द्वारा स	गमाधान व	कर दिया	गया है,

क, जिसम आदा ट्रांसामरान हे यो जिस रिट्राफट कर दियो गया हे अयवा उनका विकलागता को कृत्रिम उपाया द्यारा समायान कर दियो गया हे, और वह श्री/श्रीमती/सुश्री नहीं है ।

जारी करने वाले अधिकारी का नाम और मुहर पता और दूरभाष संख्या

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 2 मई, 2016

> [फा. सं 12(42)/2015-एईआई] राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

2229 GI/2016

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

(1)

17

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd May, 2016

S.O. 1643(E).—In the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises' Notification issued under S.O. 1468(E) on 21st April 2016 for partial amendment to the Guidelines for issue of Excise Duty Concession Certificate for purchase of vehicles by Persons with Disability, the ANNEXURE appended thereon stands modified/replaced as reproduced hereunder :—

ANNEXURE

No had been

CERTIFICATE TO BE ISSUED BY ROAD TRANSPORT OFFICER OF STATE ROAD TRANSPORT AUTHORITY

After verification, it is certified that Shri/Smt./Ms. _____Son/Daughter/Wife of Shri ______aged ______years residing at _______is capable of driving Car (Name of the Model)_______, which is having auto transmission or which has been retrofitted or his/her disability has been addressed by prosthetic means, and suits the disability of Shri/Smt./Ms_____and is unlikely to have any problem in driving this vehicle.

Name and Seal of the Issuing Authority with Address and Telephone Number

Place: New Delhi Date: 2nd May 2016

2

The Least frequency

191-191

and the state of the state of the

[F. No. 12(42)/2015-AEI] RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

ALL REPORT OF THE REPORT

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.